हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

2022

पत्रावली आज पेश हुई। दोनों पक्षों के वकील उपस्थित। पूर्व पेशी तारीख पर वकील प्रार्थीगण द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया था कि पीठासीन अधिकारी स्वयं मौका देकर ही इस प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में कोई निर्णय पारित करें। वकील प्रार्थीगण के निवेदन पर विवादित आराजी के सम्बन्ध में प्रार्थीगण व अन्य खातेदारान तथा ग्राम वासियों की मौजूदगी में हल्का पटवारी व भू–अभिलेख निरीक्षक के साथ दिनांक 15.01.2022 को मौका निरीक्षण किया गया। मौका निरीक्षण अनुसार पटवार क्षेत्र नौखड़ा के राजस्व ग्राम हीरानगर के खेत खसरा संख्या 678/8 रकबा 2–00 बीघा में अवस्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय भैराणी व सुरताणी नेहरों की ढाणी विद्यालय में पहुंचने हेतु आडेल से नौखड़ा जाने वाली डामर सडक से विद्यालय की तरफ जाने वाला रास्ता खसरा संया 681/4 में मौके पर पत्थर की चीणें खड़ी कर ऊपर खास–फूस की छत बनाकर रास्ते को अवरूद्ध किया हुआ पाया गया। मौजीज ग्राम वासियों द्वारा बताया गया कि उक्त रास्ता 20 वर्षों से खातेदारी भूमि में आवागमन हेतु चल रहा था। उक्त रास्ते को खसरा संख्या 681/4 के खातेदारा हरखाराम पुत्र नारणाराम, भवरी पत्नी हरखाराम द्वारा खसरा संख्या 681/4 में लगभग 2 माह पूर्व न्यायालय सहायक कलक्टर गुड़ामालानी में दायर प्रकरण संख्या 104/21 के द्वारा रास्ता अवरूद्ध करने की नियत से स्थगन प्राप्त किया गया, इससे आगे खसरा संख्या 678/2 के खातेदार द्वारा 20 वर्षों से चल रहे छोटू से नौखड़ा जाने वाली सड़क को अवरूद्ध किया गया है। उक्त रास्ते के दौनों तरफ पुरानी माठे अवस्थित है। उक्त रास्ते में अवरोध पैदा करने वाले खातेदारों हरखराम, भवरीदेवी व लाखाराम को मौके पर बुलाकर रास्ता खुलवाने हेतु समझाईस भी की गई। समझाईस के बावजूद उक्त खातेदारों ने रास्ता खोलने से मना किया गया। अतिरिक्त इसके दिनांक 27.09.2021 को ग्रामवासी हनुमान चौधरी वगैरा नेहरों का तला व हीरा नगर ग्राम पंचायत नौखड़ा द्वारा एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया था कि ग्राम नेहरों का तला व हीरानगर में आड़ेल सड़क से छोटू सड़क के बीच कदीमी रास्ता पिछले 60 वर्षों से चल रहा है जिससे करीबन 100 घरों की आबादी एवं राजकीय प्राथमिक विद्यालय सुरताणी व भैराणी नेहरों की ढाणी के विद्यार्थी के आवागमन में काम आ रहा था, उक्त रास्ते की भूमि पर खातेदार हरखाराम वगैरह ने न्यायालय सहायक कलक्टर से दिनांक 07.09.2021 को स्थगन आदेश लेकर दिनांक 15.09.2021 को उक्त रास्ते को बन्द कर दिया है जिससे राहगीरों एवं विद्यालय आने–जाने वाले बच्चों को आवागमन में भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है इसलिये इस रास्ते को खुलवाया जावे, जिसकी जांच तहसीलदार गुड़ामालानी से करबाई गई, तहसीलदार गुड़ामालानी ने जांच कर अपनी रिर्पोट कमांक 06 दिनांक 12.11.2021 पेश कर अवगत कराया कि खसरा नम्बर 681/4 रकबा 4.6215 हैक्टेयर भूमि में से नौखड़ा से गुड़ामालानी पक्की डामर सड़क बनी हुई है उक्त खसरे की पूर्वी हिस्से में रा.प्रा.विद्यालय बना हुआ है। उक्त विद्यालय की मुख्य द्वार के पास होते हुए घरों में आवागमन हेतु वर्षों पुराना रास्ता चल रहा है। उक्त मार्ग को अवरूद्ध करने की नीयत से वादीनी भंवरी पत्नी हरखाराम पुत्र नारणाराम द्वारा उक्त आवागमन रास्ते को बन्द कर माननीय न्यायालय का स्थगन होने का कहकर रास्ते [illegible] दिया है, उक्त रास्ते को 131 व 136 में किस्म परिवर्तन कर गै.मु. [illegible] किया जाना जनहित में उचित है। हमने दोनों पक्षों से स्वयं [illegible] निरी[illegible] के पश्चात पुनः बहस सुनी वकील प्रार्थीगण की बहस है कि [illegible] उसके परिवार वाले झगडालू प्रवृति के व्यक्ति है जो [illegible] पाड़ौसी खातेदार हैं। वर्तमान में भूमि की कीमतों में आई [illegible] वृद्धि के कारण प्रार्थीनी की भूमि को अपनी बताकर अवैधरूप से [illegible] व कणों को तोड़कर कब्जा करने पर आमादा है। इसके विपरीत वकील विप्रार्थीगण की बहस है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलंदाजी नहीं की जा रही है और ना ही प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि की माठें व सेढा तोड़ा जा रहा है। प्रार्थीगण ने केवल मात्र वर्षों पुराना रास्ता अवरूद्ध किये जाने की मंशा से उक्त स्थगन प्राप्त किया है जिसे जनहित में खारिज फरमाया जावे। दोनों पक्षों की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन तथा तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा व पीठासीन अधिकारी द्वारा स्वयं मौका निरीक्षण के उपरान्त न्यायालय इस नतीजे पर पहुंचा है कि प्रार्थीगण को स्वयं की खातेदारी भूमि मौजा

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.02.13 14:41:55 IST
Reason: SelfAttested

हीरानागर के खेत खसरा संख्या 681/4 रकबा 4.6215 हैक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में विरूद्ध विप्रार्थीगण स्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निर्धारण मूल वाद पत्र में तय होगा परन्तु वर्तमान में विद्यालय के बच्चों एवं ग्रामवासियों के वर्षों से चल रहे कदीमी रास्ता को अवरूद्ध किये जाने की नीयत मात्र से प्राप्त स्थगन आदेश बनाए रखना न्यायालय उचित नहीं समझती है। लिहाजा इस न्यायालय द्वारा अन्तरित निषेधाज्ञा दिनांक 07.09.2021 निरस्त की जाकर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 RTA अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय सुमार होकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।

(प्रमोद कुमार)
सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2023.02.13 14:11:55 IST
Reason: SelfAttested